भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1200
दिनांक 10 दिसंबर, 2025 / 19 अग्रहायण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध

1200 श्री परिमल नथवानीः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या पहलें की गई है;
(ख) कानूनी ढाँचे, पीड़ित सहायता प्रणालियों और कानून प्रवर्तन प्रतिक्रिया को सुदृढ करने के लिए क्या कदम उठाए गए है; और
(ग) क्या सरकार ने हिंसा को कम करने और रिपोर्टिंग तंत्र में सुधार लाने के उद्देश्य से जागरूकता या पुनर्वास कार्यक्रम शुरू किए हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री बंडी संजय कुमार)

(क) से (ग): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। कानून और व्यवस्था बनाए रखने, महिलाओं और बच्चों सहित नागरिकों के जान-माल की सुरक्षा की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की होती है तथा राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन कानूनों के मौजूदा प्रावधानों के तहत ऐसे अपराधों से निपटने के लिए सक्षम हैं।

तथापि, भारत सरकार महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों को रोकने और नियंत्रित करने को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है और कई उपायों के माध्यम से आवश्यक हस्तक्षेप करती है जिसमें आपराधिक कानूनों में संशोधन, प्रौद्योगिकी तथा अवसंरचनात्मक सहायता तंत्र विकसित करना, पुलिस कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना, राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना और एडवाइजरी जारी करना शामिल है। ये कदम निम्नानुसार हैं:

i. पुलिस स्टेशनों को महिलाओं के लिए अनुकूल और अधिक सुलभ बनाने के उद्देश्य से, गृह मंत्रालय ने देश भर के सभी पुलिस स्टेशनों में महिला सहायता डेस्क (डब्ल्यूएचडी) स्थापित करने के लिए सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की है।

ii. आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली सभी आपात स्थितियों के लिए एक अखिल भारतीय, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त एकल नंबर (112) आधारित प्रणाली प्रदान करती है, जिसमें फील्ड संसाधनों को कंप्यूटर की सहायता से संकट के स्थान पर भेजा जाता है।

iii. स्मार्ट पुलिस व्यवस्था और सुरक्षा प्रबंधन में सहायता के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए, पहले चरण में, 8 शहरों (अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ और मुंबई) में सुरक्षित शहर परियोजनाओं को लागू किया जा रहा है।

iv. गृह मंत्रालय ने विधि प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा देश भर में यौन अपराधियों की जांच और उनकी ट्रैकिंग को सुगम बनाने के लिए "यौन अपराधियों पर राष्ट्रीय डेटाबेस" (एनडीएसओ) शुरू किया है।

v. गृह मंत्रालय ने आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम 2018 के अनुसार यौन उत्पीड़न के मामलों में समयबद्ध जांच की निगरानी और ट्रैकिंग के उद्देश्य से पुलिस के लिए एक ऑनलाइन एनालिटिक टूल "यौन अपराधों पर जांच ट्रैकिंग प्रणाली" शुरू की है।

vi. जांच में सुधार के लिए, गृह मंत्रालय ने केंद्रीय और राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं में डीएनए विश्लेषण इकाइयों को सुदृढ़ करने के लिए कदम उठायें हैं। इसमें चंडीगढ़ स्थित केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में अत्याधुनिक डीएनए विश्लेषण इकाई की स्थापना शामिल है। गृह मंत्रालय ने राज्य/केंद्र शासित प्रदेश को निर्भया फण्ड के अधीन राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं में डीएनए विश्लेषण इकाइयों की स्थापना और सुदृढ़ीकरण में सहायता की है।

vii. गृह मंत्रालय ने यौन उत्पीड़न के मामलों में फोरेंसिक साक्ष्य एकत्र करने और यौन उत्पीड़न साक्ष्य संग्रह किट की मानक संरचना के लिए दिशानिर्देश अधिसूचित किए हैं।

viii. पर्याप्त संख्या में कार्मिक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, जांच अधिकारियों, अभियोजन अधिकारियों और चिकित्सा अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण और कौशल निर्माण कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। अब तक

35,377 जांच अधिकारियों, अभियोजकों और चिकित्सा अधिकारियों को पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) और एलएनजेएन राष्ट्रीय अपराध विज्ञान एवं फोरेंसिक विज्ञान संस्थान (वर्तमान में, राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय का दिल्ली परिसर) द्वारा प्रशिक्षित किया गया है। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो ने प्रशिक्षण के एक भाग के रूप में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 18020 यौन उत्पीड़न साक्ष्य संग्रह किट वितरित की हैं।

ix. तीन नए आपराधिक कानून अर्थात भारतीय न्याय संहिता, 2023 (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 (बीएनएसएस) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 (बीएसए) को 1.7.2024 से लागू किया गया है। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध के मामले में रोकथाम, जांच और अभियोजन से संबंधित इन कानूनों के प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं:

क) महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध किए गए अपराधों को अन्य सभी अपराधों से प्राथमिकता दी गई है। महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध किए गए अपराधों को भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अध्याय-V में समेकित किया गया है, जो बीएनएस का पहला मुख्य अध्याय है।

ख) विवाह, रोजगार, पदोन्नति का झूठा वादा करके अथवा पहचान छिपाकर यौन संबंध बनाने आदि के लिए एक नया अपराध भी बीएनएस में शामिल किया गया है।

ग) बीएनएस में, सामूहिक बलात्कार के नाबालिग पीड़ितों के संबंध में उम्र का अंतर समाप्त कर दिया गया है। पहले 16 वर्ष और 12 वर्ष से कम उम्र की बालिका के साथ हुए सामूहिक बलात्कार के लिए अलग-अलग सजाएं निर्धारित थीं। इस प्रावधान को संशोधित किया गया है और अब अठारह वर्ष से कम उम्र की महिला के साथ हुए सामूहिक बलात्कार के लिए आजीवन कारावास या मृत्युदंड की सजा का प्रावधान है।

घ) पीड़ित को अधिक सुरक्षा प्रदान करने और बलात्कार के अपराध से संबंधित जांच में पारदर्शिता लाने के लिए, पीड़ित का बयान पुलिस द्वारा ऑडियो-वीडियो माध्यम से रिकॉर्ड किया जाएगा।

ङ) महिलाओं के विरुद्ध किए गए कुछ विशिष्ट अपराधों के लिए, पीड़िता का बयान, जहां तक संभव हो, एक महिला मजिस्ट्रेट द्वारा और उसकी अनुपस्थिति में एक पुरुष मजिस्ट्रेट द्वारा एक महिला की उपस्थिति में दर्ज किया जाना चाहिए ताकि संवेदनशीलता और निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सके और पीड़ितों के लिए एक सहायक वातावरण तैयार किया जा सके।

च) चिकित्सकों को बलात्कार की पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट 7 दिनों के भीतर जांच अधिकारी को भेजने का अधिदेश दिया गया है।

छ) किसी अपराध के लिए बच्चे को काम पर रखने, इस्तेमाल करने अथवा नियोजित करने के लिए एक नया अपराध शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त, वेश्यावृत्ति आदि कराने के उद्देश्य से बच्चे को खरीदने के लिए अधिकतम सजा को बढ़ाकर चौदह वर्ष किया गया है, जो पहले केवल 10 वर्ष थी।

ज) बीएनएस की धारा 143 के तहत, शोषण के उद्देश्य से किसी बच्चे (18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति के रूप में परिभाषित) की तस्करी करने पर कम से कम 10 वर्ष के कठोर कारावास, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माने का प्रावधान करती है। "भिक्षावृत्ति" के लिए बच्चों की तस्करी को शोषण करने के एक तरीके के रूप में शामिल किया गया है और यह बीएनएस, 2023 की धारा 143 के तहत दंडनीय है। इसके अतिरिक्त, धारा 144(1) तस्करी किए गए बच्चों के यौन शोषण किए जाने पर कम से कम 5 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित करती है, जिसे दस वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माने से भी दंडित किया जा सकता है।

झ) नए कानूनों में, महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध किए गए अपराधों के पीड़ितों को सभी अस्पतालों में मुफ्त प्राथमिक उपचार अथवा चिकित्सा उपचार दिए जाने का प्रावधान है। यह प्रावधान चुनौतीपूर्ण समय में पीड़ितों की भलाई और स्वास्थ्य लाभ को प्राथमिकता देते हुए, आवश्यक चिकित्सा देखभाल तक तत्काल पहुंच सुनिश्चित करता है।

x. केंद्रीय पीड़ित मुआवजा निधि (सीवीसीएफ) के अंतर्गत, गृह मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2016-17 में एकमुश्त वित्तीय सहायता के रूप में कुल 200 करोड़ रुपये जारी किए हैं, ताकि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 357क (बीएनएसएस की धारा 396) के प्रावधानों के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अधिसूचित पीड़ित मुआवजा योजनाओं (वीसीएस) को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके और विभिन्न अपराधों, विशेष रूप से बलात्कार, एसिड हमलों, बच्चों के विरुद्ध अपराध, मानव तस्करी आदि सहित यौन अपराधों के पीड़ितों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता जारी रखी जा सके।

xi. न्याय विभाग वर्ष 2019 से फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (FTSC) की स्थापना के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना लागू कर रहा है, जिसमें एक्सक्लूसिव POCSO (ePOCSO) कोर्ट भी शामिल हैं। ये कोर्ट बलात्कार और बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा (POCSO) एक्ट, 2012 के तहत अपराधों से जुड़े लंबित मामलों की समय पर सुनवाई और निपटारे के लिए समर्पित हैं। हाई कोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार, 30.09.2025 तक, 29 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 400 एक्सक्लूसिव POCSO (e-POCSO) कोर्ट सहित 773 FTSC काम कर रहे हैं, जिन्होंने योजना शुरू होने के बाद से 3,50,685 मामलों का निपटारा किया है।

xii. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय देश भर में वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) योजना लागू कर रहा है। वन स्टॉप सेंटर योजना का उद्देश्य हिंसा से प्रभावित महिलाओं को निजी और सार्वजनिक दोनों स्थानों पर एक ही छत के नीचे एकीकृत सहायता प्रदान करना और महिलाओं के विरुद्ध हुई किसी भी प्रकार की हिंसा से निपटने के लिए पुलिस, चिकित्सा, कानूनी सहायता और परामर्श, मनोवैज्ञानिक सहायता सहित विभिन्न सेवाओं तक तत्काल, आपातकालीन और गैर-आपातकालीन पहुंच की सुविधा प्रदान करना है। देश भर में 864 ओएससी कार्यरत हैं और 30 सितम्बर, 2025 तक 12.67 लाख से अधिक महिलाओं को सहायता प्रदान की जा चुकी है।

xiii. महिला हेल्पलाइन (डब्ल्यूएचएल) योजना का सार्वभौमिकरण 1 अप्रैल, 2015 से किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य देश भर में, हिंसा से प्रभावित महिलाओं को रेफरल सेवा के माध्यम से तत्काल और 24 घंटे आपातकालीन और गैर-आपातकालीन सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत, सहायता और जानकारी चाहने वाली महिलाओं को शॉर्ट कोड 181 के माध्यम से 24 घंटे टोल-फ्री दूरसंचार सेवा प्रदान की जाती है। महिला हेल्पलाइन 35 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यरत है।

xiv. लापता और जरूरतमंद बच्चों को आउटरीच सेवाएं प्रदान करने के लिए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 संचालित करता है, जो 24/7 चालू रहता है। इसके अलावा, किसी भी जरूरतमंद बच्चे को सहायता प्रदान करने के लिए, प्रमुख रेलवे प्लेटफार्मों पर, रेलवे चाइल्ड लाइन भी संचालित की जा रही हैं।

xv. इसके अलावा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय मिशन शक्ति के अंतर्गत "सामर्थ्य" योजना का भी संचालन करता है, जिसमें शक्ति सदन का घटक कठिन परिस्थितियों में महिलाओं को राहत और पुनर्वास प्रदान करने के लिए है।

xvi. सरकार, राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) जैसी संस्थाओं और राज्यों में उनके समकक्षों के माध्यम से महिलाओं की सुरक्षा और कानून एवं नीतियों आदि के विभिन्न प्रावधानों के बारे में लोगों को संवेदनशील बनाने के लिए सेमिनारों, कार्यशालाओं, ऑडियो-विजुअल, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आदि के माध्यम से जागरूकता फैला रही है। पंजीकृत शिकायतों के संबंध में, एनसीडब्ल्यू मामले को हितधारकों, विशेष रूप से पुलिस अधिकारियों के साथ उठाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शिकायतों का निवारण किया जाए और उन्हें तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचाया जाए।

xvii. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 22 जनवरी, 2025 को सभी कार्यात्मक सुविधाओं के साथ 'मिशन शक्ति पोर्टल' लॉन्च किया है। इस पोर्टल का उद्देश्य महिलाओं के लिए विभिन्न सरकारी सेवाओं की पहुँच बढ़ाना, बचाव, सुरक्षा और पुनर्वास के लिए गुणवत्तापूर्ण तंत्र स्थापित करना और विभिन्न योजनाओं और कानूनों के तहत पदाधिकारियों और कर्तव्यधारकों की क्षमता का निर्माण करना है।

xviii. इसके अतिरिक्त, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर समय-समय पर राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को परामर्श जारी किए हैं।

******